

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं नहर प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिये वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय सशक्त समिति की 39वीं बैठक दिनांक 02.07.2019 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज, लखनऊ में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के द्वारा गठित संस्तुति के क्रम में कनहर सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से सम्बन्धित अवशेष 1295.00 हे० क्षतिपूरक वनीकरण एवं संवर्धन (Compensatory afforestation and enrichment of plant) में होने वाले व्यय के भुगतान करने की बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।


(एम०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

 08/19
अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
 पिपरी-सोनभद्र